छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 410/2007

1. श्री राकेश ठाकुर, – *शिकायतकर्ता*
अधिवक्ता, पुराना सिविल लाईन्स,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *अनावेदक*
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 09 अप्रैल, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री राकेश ठाकुर द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के समक्ष दिनांक 21.02.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें दिनांक 18.05.2007 को विलंब से तथा अपूर्ण जानकारी दी गई थी, इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 21.06.2007 को यह शिकायत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु जन सूचना अधिकारी द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का न तो उत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये, इसलिए उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर शिकायतकर्ता को सुना गया । प्रकरण में इसके पूर्व भी शिकायत पर प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी को दिनांक 05.07.2007, 29.11.2007, 08.03.2008 एवं 11.07.2008 को पत्र भेजा गया था, किन्तु उन पर भी कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति यह दर्शाती है कि जन सूचना अधिकारी का रवैया सूचना का अधिकार के आवेदनों के प्रति अत्यन्त लापरवाहपूर्ण है और यहॉ तक कि उन्होंने सूचना आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं समझा और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुये । अतः जन सूचना अधिकारी को प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए दोषी पाया जाता है और सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत उन पर राशि 2500/– रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही प्रकरण में यह निर्देश दिये जाते हैं कि अब शेष रही जानकारी 15 दिवस के अन्दर शिकायतकर्ता को निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से शिकायतकर्ता को राशि 200/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

2/– उक्त निर्देश के साथ शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com